रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 217] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 7, 1990/ज्येष्ठ 17, 1912
No. 217] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 7, 1990/JYAISTHA 17, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जून, 1990

रेल दुर्घटना (प्रतिकर) नियम, 1990

सा.का.नि. 552(अ) केन्द्रीय सरकार, साधारण खंड अधिनियम, 1897(1897 का 10) की धारा 22 के साथ पठित रेल अधिनियम, 1989(1989 का 24) की धारा 129 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रेल दुर्घटना (प्रतिकर) नियम, 1989 को अधिक्रांत करते हुए, सिवाय उन बातों के बारे में जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेल दुर्घटना (प्रतिकर) नियम, 1990 है।

2. ये अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं : इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :

(क) "दुर्घटना" से अधिनियम की धारा 124 में वर्णित प्रकृति की दुर्घटना अभिप्रेत है।

(ख) "अधिनियम" से रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) अभिप्रेत है।

(ग) "अधिकरण" से रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 54) की धारा 3 के अधीन स्थापित रेल दावा अधिकरण अभिप्रेत है।

(घ) "अनुसूची" से इन नियमों की अनुसूची अभिप्रेत है; और

(ङ) उन शब्दों और पदों के, जो इस में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके अधिनियम में हैं।

प्रतिकर के लिए दावे

3. प्रतिकर की रकम (1) मृत्यु या क्षति की बाबत संदेय प्रतिकर की रकम वह होगी जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट है।

(2) किसी ऐसी क्षति के लिये जो अनुसूची के भाग 2 या भाग 3 में विनिर्दिष्ट नहीं है किन्तु जो दावा अधिकरण की राय में ऐसी है जिससे कोई व्यक्ति किसी कार्य को न करने की सभी क्षमता से वंचित हो जाता है, संदेय प्रतिकर की रकम दो लाख रुपये होगी।

(3) किसी ऐसी क्षति की बाबत (जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट या उपनियम (2) में निर्दिष्ट क्षति से भिन्न हैं), जिसके परिणामस्वरूप पीड़ा और यातना होती है, संदेय प्रतिकर की रकम वह होगी जिसे मामले की अन्य परिस्थितियों के अलावा, अधिकरण, चिकित्सीय साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अवधारित करे कि वह युक्तियुक्त है;

परन्तु यदि एक ही दुर्घटना से एक से अधिक क्षति कारित होती है है तो प्रतिकर ऐसी प्रत्येक क्षति की बाबत संदेय होगा:

परन्तु यह और कि ऐसी क्षति की बाबत कुल प्रतिकर चालीस हजार रुपये से अधिक नहीं होगा।

(4) जहां किसी क्षति के लिए संदत्त प्रतिकर ऐसी रकम से कम हो जो प्रतिकर के रूप में उस दशा में संदत्त होता जब क्षतिग्रस्त व्यक्ति की ऐसी क्षति के परिणामस्वरूप मृत्यु हो गई होती और ऐसे व्यक्ति की तत्पश्चात् मृत्यु हो जाती है, वहां मृत्यु के लिए संदेय रकम और पूर्वतः संदत्त रकम के बीच अन्तर के बराबर अतिरिक्त प्रतिकर संदेय हो जायेगा।

(5) माल या जीवजंतुओं की हानि, नाश या क्षय के लिए प्रतिकर का उस परिमाण तक संदाय किया जायेगा जिससे आयुक्त मामले की सभी परिस्थितियों में, अवधारित करें कि वह युक्तियुक्त हैं।

4. प्रतिकर की सीमा : नियम 3 में किसी बात के होते हुए भी, उस नियम के अधीन संदेय कुल प्रतिकर, किसी एक व्यक्ति की बाबत किसी भी दशा में दो लाख रुपये से अधिक नहीं होगा।

अनुसूची

–(नियम 3 देखिए)

मृत्यु और क्षति के लिये संदेय प्रतिकर

भाग 1	प्रतिकर की रकम (रु.)
मृत्यु के लिए	2,00,000
भाग 2	
(1) दोनों हाथों की हानि या उच्चतर साइटों पर विच्छेदन के लिए	2,00,000
(2) हाथ और पाव की हानि के लिए	2,00,000
(3) टांग या उसके दोहरे विच्छेदन अथवा एक और टांग या उससे विच्छेदन और अन्य पाद की क्षति के लिए	2,00,000
(4) उस परिमाण तक दृष्टि की हानि के लिये जो दावेदार को कोई भी ऐसा कार्य करने के लिय असमर्थ बना देती है जिसके लिये दृष्टि का होना अनिवार्य है।	2,00,000
(5) चेहरे की बहुत गंभीर विद्रूपिता के लिए	2,00,000
(6) पूर्ण बधिरता के लिये	2,00,000
भाग 3	
(1) स्कंध संधि से विच्छेदन के लिये	1,80,000
(2) स्कंध से नीचे विच्छेदन के लिये, जब कि स्थूपक अंसकूट के सिरे से 8 इंच से कम हो	1,60,000
(3) असंकुट के सिरे से 8 इंच से असंकुट के सिरे के नीचे 4-2/2 इंच से कम तक विच्छेदन के लिये	1,40,000
(4) किसी हाथ या एक हाथ के अंगूठे या चार अंगुलियों की हानि अथवा असंकुट के सिरे के नीचे 4-1/2 इंच के विच्छेदन के लिये	1,20,000
(5) अंगूठे की हानि के लिये	60,000
(6) अंगूठे और उसकी करभिका हड्डी की हानि के लिये	80,000
(7) एक हाथ की चार अंगुलियों की हानि के लिये	1,00,000
(8) एक हाथ की तीन अंगुलियों की हानि के लिये	60,000
(9) एक हाथ की दो अंगुलियों की हानि के लिये	60,000
(10) अंगूठे की अन्य अंगुलास्थि की हानि के लिये	40,000
(11) दोनों पाद के विच्छेदन के लिये जिसके परिणाम अन्त्य बेयरिंग स्थूलक है	1,80,000
(12) प्रपंवानुस्त्यस्थि संधि के निकट दोनों पादों से विच्छेदन के लिये	1,60,000
(13) प्रपंवानुल्यस्थि संधि से दोनों पादों की सभी अंगुलियों की हानि के लिये	80,000
(14) निकटस्थ अंतरागल्यस्थि संधि के निकट दोनों पादों की सभी अंगुलियों की हानि के लिये	60,000
(15) निकटस्थ अंतराय ल्यस्थि संधि से दूर दोनों पादों की सभी अंगुलियों की हानि के लिये	40,000
(16) नितम्ब पर विच्छेदन के लिये	1,80,000
(17) नितम्ब के नीचे विच्छेदन के लिये जब कि स्थूपक बड़े ट्रेवेन्टर के सिरे से मापित लम्बाई में 5 इंच से अधिक न हो	1,60,000
(18) नितम्ब के नीचे विच्छेदन के लिये जब कि स्थूपक बड़े ट्रेवेन्टर के सिरे से मापित लम्बाई में 5 इंच से अधिक हो किन्तु मध्य उसके परे न हो	1,40,000
(19) मध्य उसके नीचे घुटनों के नीचे 3-1/2 इंच तक विच्छेदन के लिये	1,20,000
(20) घुटनों के नीचे विच्छेदन के लिये जब कि स्थूपक 3-1/2 इंच से अधिक किन्तु 8 इंच से अधिक हो	1,00,000
(21) अपरहामन सहित रीढ़ की अस्थि-भंग (अधरांगघात सहित रीढ़ का अस्थी भंग)	1,00,000
(22) घुटनों के नीचे विच्छेदन के लिये जब कि स्थूपक 5 इंच से अधिक हो	80,000
(23) एक नेत्र की हानि के लिये जब कि कोई अन्य उपद्रव न हो और दूसरा नेत्र प्रसामान्य हो	80,000
(24) एक पाद के विच्छेदन के लिये जिसका परिणाम अंत्य बेयरिंग है।	60,000
(25) प्रपदामुल्यास्थि संधि के निकट से एक पाद के विच्छेदन के लिये	60,000
(26) अधरांग घात के बिना रीढ़ का अस्थि-भंग	60,000
(27) एक नेत्र की दृष्टि की हानि के लिये जब कि कोई अन्य उपद्रव या नेत्र द्योतक की विद्रूपिता न हो और दूसरा नेत्र प्रसामान्य हो	60,000
(28) प्रसंदामुल्यास्थि संधि के निकट से एक पाद की हानि के लिये	40,000

(29) नितंब संधि का अस्थि-भंग	40,000
(30) बड़ी हड्डी फीमर टीबिया का दोनों अंगों से अस्थि-भंग	40,000
(31) बड़ी हड्डी ह्यूमेरस रेडियस का दोनों अंगों में अस्थि-भंग	40,000
(32) श्रोणि का अस्थि-भंग जिसके संधि अंतर्ग्रस्त न हों	20,000
(33) बड़ी हड्डी फीमर टीबिया का एक अंग में अस्थि-भंग	20,000
(34) बड़ी हड्डी ह्यूमेरस रेडियस अथवा के एक अंग का अस्थि-भंग	16,000

[सं. 82/टी जी II/1026/22/आई आर ए]

एस. के. मलिक,
संयुक्त निदेशक (आर ए आर)
(रेलवे बोर्ड)

MINISTRY OF RAILWAY
(Railway Board)
NOTIFICATION

New Delhi, the 7th June, 1990

RAILWAY ACCIDENT (COMPENSATION) RULES, 1990

G.S.R. 552 (E).—In exercise of the powers conferred by section 129 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) read with section 22 of the General Clauses Act 1897(10 of 1897) and in supersession of the Railway Accidents (Compensation) Rules, 1989 except in respect of things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules namely :—

PRELIMINARY

1. Short title and Commencement :—(1) These rules may be called the Railway Accidents (Compensation) Rules, 1990.

(2) They shall come into force on the date of commencement of the Act.

2. Definitions : In these rules, unless the context otherwise requires :—

(a) "accident" means an accident of the nature described in section 124 of the Act.

(b) 'Act' means the Railways Act, 1989 (24 of 1989).

(c) "Claims Tribunal" means the Railway Claims Tribunal established under section 3 of the Railway Claims Tribunal Act, 1987 (54 of 1987).

(d) "Schedule" means the schedule to these rules; and
(e) Words and expressions used herein and not defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

CLAIM FOR COMPENSATION

3. Amount of Compensation :—(1) The amount of compensation payable in respect of death or injuries, shall be as specified in the Schedule.

(2) The amount of compensation payable for an injury not specified in Part II or Part III of the Schedule but which, in the opinion of the Claims Tribunal is such as to deprive a person of all capacity to do any work, shall be rupees two lakhs.

(3) The amount of compensation payable in respect of any injury (other than an injury specified in the Schedule or referred to in sub-rule (2) resulting in pain and suffering shall be such as the Claims Tribunal may after taking into consideration medical evidence, besides other circumstances of the case, determine to be reasonable.

Provided that if more than one injury is caused by the same accident, compensation shall be payable in respect of each such injury.

Provided further that the total compensation in respect of all such injuries shall not exceed rupees forty thousand.

(4) Where compensation has been paid for any injury which is less than the amount which would have been payable as compensation if the injured person had died and the person subsequently dies as a result of the injury, a further compensation equal to the difference between the amount payable for death and that already paid shall become payable.

(5) Compensation for loss, destruction or deterioration of goods or animals shall be paid to such extent as the Claims Tribunal may, in all the circumstances of the case, determine to be reasonable.

4. Limit of Compensation :—Notwithstanding anything contained in rule 3, the total compensation payable under that rule shall in no case exceed rupees two lakk in respect of any one person.

SCHEDULE

(See Rule 3)

COMPENSATION PAYABLE FOR DEATH AND INJURIES

	Amount of compensation (in Rs.)
PART I	
For death	2,00,000
PART II	
(1) For loss of both hands or amputation at higher sites	2,00,000
(2) For loss of hand and a foot	2,00,000
(3) For double amputation through leg or thigh or amputation through leg or thigh on one side and loss of other foot.	2,00,000
(4) For loss of sight to such an extent as to render the claimant unable to perform any work for which eye sight is essential	2,00,000
(5) For very severe facial disfigurement	2,00,000
(6) For absolute deafness	2,00,000
PART III	
(1) For amputation through shoulder joint	1,80,000
(2) For amputation below shoulder with stump less than 8" from tip of acromion	1,60,000
(3) For amputation from 8" from tip of acromion to less than 4 1/2" below tip of olecranon	1,40,000
(4) For loss of a hand or the thumb and four fingers of one hand or amputation from 4 1/2" below space tip of olecranon	1,20,000
(5) For loss of thumb	60,000
(6) For loss of thumb and its metacarpal bone.	80,000

(7)	For loss of four figners of one hand	1,00,000
(8)	For loss of three fingers of one hand	60,000
(9)	For loss of two fingers of one hand	40,000
(10)	For loss of termina lphalanx of thumb	40,000
(11)	For amputation of both feet resulting in end bearing stumps	1,80,000
(12)	For amputation through both feet proximal to the metatarsophalangeal joint	1,60,000
(13)	For loss of all toes of both feet through the metatarso-phalangeal joint	80,000
(14)	For loss of all toes of both feet proximal to the proximal interphalangeal joint	60,000
(15)	For loss of all toes of both feet distal to the proximal inter-phelengeal joint.	40,000
(16)	For amputation at hip	1,80,000
(17)	For amputation below hip with stump not exceeding 5" in length measured from hip of great trench-anter.	1,60,000
(18)	For amputation below hip with stump exceeding 5" in length measured from tip of great trenchanter but not beyond middle thigh.	1,40000
(19)	For amputation below middle thigh to 3 1/2" below knee	1,20,000
(20)	For amputation below knee witk stump exceeding 3 1/2" but not exceeding 5"	1,00,000
(21)	Fracture of Spine with Paraplegia	1,00,000
(22)	For amputation below knee with stump exceeding 5"	80,000
(23)	For loss of one eye without complications the other being normal	80,000
(24)	For amputation of one foot resulting in end-bearing.	60,000
(25)	For amputation through one foot proximal to the emetatarso-phalangeal joint	60,000
(26)	Fracture of Spine without paraplegia	60,000
(27)	For loss of vision of one eye without complications of disfigurement of eye ball, the other being normal	60,000
(28)	For loss of all toes of one foot through the metatarso-phelangeal joint	40,000
(29)	Fracture of Hip-joint	40,000
(30)	Fracture of Major Bone Femur Tibia Both limbs	40,000
(31)	Fracture of Major Bone Humerus Radius Both limbs	30,000
(32)	Fracture of Pelvis not involving joint	20,000
(33)	Fracture of Major Bone Femur Tibia One limb	20,000
(34)	Fracture of Major Bone Humerus Radius Ulna One limb	16,000

[No. 82/TGII/1026/22/IRA.]
S.K. MALIK, Jt. Director (RAR)
(Railway Board)

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1990.